जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 27.02.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6006 इवेण्ट सं0-52622 द्वारा बाइक फिसल जाने से घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– कालर द्वारा बाइक फिसल जाने से गिर जाने के कारण घायल 02 व्यक्ति (01. शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र योगेन्द्रनाथ सिंह निवासी ग्राम बनकटिया, 02. रामदयाल पुत्र चिरकुट निवासी ग्राम औरही थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- म0हे0का0 पुष्पा शर्मा, का0 विवेक कुमार, म0का0 नेहा पाल, हो0चा0 राम कृष्ण मौर्य।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 106 वाहनों से 1,11,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.02.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 106 वाहनों से 1,11,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 90/2025 धारा 137(2), 87, 351(3) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता रोशन पुत्र गौतम निवासी सेवईपार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को पारासीर चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 26.02.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.02.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 संतोष यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 01 अदद हाकी, 01 अदद वेसबाल बैट, 01 अदद लकड़ी का डण्डा व घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन स्कार्पियो के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2025 धारा 126(2)/191(2)/191(3)/352/351(3)/103(1)/61(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 1.नाजिम खान पुत्र साकिर अली साकिन भरपुरवा, 2. सलमान अंसारी पुत्र नाजिम अली निवासी मिया मंझरिया, 3.रामरतन यादव उर्फ भुवर यादव पुत्र माता प्रसाद यादव उर्फ झिनक यादव निवासी ग्राम भैंसहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 27.02.2025 को बंगलाताल चौराहा से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.नाजिम खान पुत्र साकिर अली साकिन भरपुरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर।

2.सलमान अंसारी पुत्र नाजिम अली निवासी मिया मंझरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर।

3.रामरतन यादव उर्फ भुवर यादव पुत्र माता प्रसाद यादव उर्फ झिनक यादव निवासी ग्राम भैंसहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद हाकी

02. एक अदद बेसबाल बैट,

03. एक अदद लकडी का डण्डा

04. घटना में प्रयुक्त एक अदद चार पहिया वाहन स्कार्पियों सं0 UP82V9930

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0नि0- पंकज कुमार पाण्डेय, व0उ0नि0 राजेश कुमार दुबे, उ0नि0 इल्ताफ खान, हे0का0 पप्पू सिंह, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, हे0का0 कलीमुद्दीन खाँ, का0 रंजन राजभर, का0 अरूण कुमार, का0 विशाल सिंह।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती से दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2025 धारा 376/504/506 भादवि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता सज्जाद हुसेन पुत्र मुरौवत हुसेन निवासी ग्राम बजहरा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को दुधारा अस्पताल तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.05.2024 को वादिनी के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में थाना स्थानीय पर दिनांक 26.02.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 27.02.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरि0उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, हे0का0 अरविन्द यादव, का0 राधेश्याम गिरी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना कोतवाली खलीलाबाद-

1. नाजिम खान (नामजद-A)

2.सलमान अंसारी (अज्ञात-A)

3. रामरतन यादव (अज्ञात-A)

शेष-

1.इसराईल (नामजद)

2.जाकिर (नामजद)

3. शहजाद (नामजद)

4. तवरेज (अज्ञात)